क्रम-संख्या—561

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 26, 1907 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1664/सत्रह-वि-1—1 (क)-28-1985

लखनऊ, 17 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी—विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154–क का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 154–क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :––

"(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई विदेशी राष्ट्रिक राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं करेगा।"

वैधीकरण

3––मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया कोई संक्रमण, जो इस अधिनियम द्वारा तथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 154–क की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में न हो, केवल इस कारण शून्य नहीं समझा जायगा कि वह उस उपधारा का, जैसा वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, उल्लंघन करके किया गया था और ऐसे संक्रमण की विषय-वस्तु, यदि ऐसा संक्रमण अन्यथा विधिमान्य हो, कभी भी राज्य सरकार में निहित नहीं समझी जायगी।

आज्ञा से
बी0 एल0 लूम्बा,
सचिव।

No. 1664(2)/XVII-V-1—1(KA)-28-1985
Date Lucknow, September 17, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Tatha Bhumi Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 17, 1985:

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 1985

(U. P. Act no. 31 of 1985)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1985.

Amendment of section 154-A of [U. P. Act no. 1 of 1951

2. In section 154-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, no foreign national shall acquire any land by sale or gift without prior permission in writing from the State Government."

Validation

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the principal Act, any transfer made before the commencement of this Act which is not in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 154-A of the principal Act as substituted by this Act, shall not be deemed to be void merely because it was in contravention of that sub-section as it stood before such commencement and the subject-matter of such transfer, if such transfer is otherwise valid, shall not be deemed ever to have vested in the State Government.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0––ए0पी0 158 सा0 (विधा0)––(1920)––1985––850 (मेके0)।